उत्तर प्रदेश शासन

दुग्धशाला विकास विभाग

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक

आय-व्ययक

वर्ष 2018-2019

उत्तर प्रदेश शासन

दुग्धशाला विकास विभाग

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक
आय–व्ययक

वर्ष 2018–19

प्राक्कथन

दुग्धशाला विकास कार्यक्रम वर्ष 1975–76 तक सहकारिता विभाग का एक अंग था। वर्ष 1977–78 में प्रथम बार स्वतंत्र रूप से दुग्ध विकास विभाग का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट तैयार किया गया और तब से अब तक प्रत्येक वर्ष कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट तैयार किया जा रहा है। इस दिग्दर्शक बजट में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को सरल व स्पष्ट रूप से अंकित किए जाने का प्रयास किया गया है। इससे योजनाओं का उचित और उपयुक्त नियोजन तथा कियान्वयन सुनिश्चित करना सम्भव हो सकेगा, ऐसी आशा है।

प्रमुख सचिव,
दुग्ध विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

विषय सूची

क0सं0	विवरण	पेज सं0
1.	भूमिका	1
	(क) दुग्ध विकास विभाग के उद्देश्य	2
	(ख) विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था	2
	(ग) विभाग के कार्यकलाप	2
	(घ) विभाग के कार्यकलापों का ढ़ॉचा	2–3
	(ड.) दुग्ध सहकारिताओं की व्यवसायिक कार्यकुशलता एव क्षमता में वृद्धि	3–4
	(च) कार्यकम वार लक्ष्य एवं उपलब्धि	5
2.	वित्तीय आवश्यकतायें	
	तालिका – क– कार्यकमवार /कार्यकलापवार वर्गीकरण	6
	तालिका – ख– आय–व्ययक अनुमान का मदवार वर्गीकरण	7
	तालिका – ग– वित्तीय संसाधनों के स्रोत	8
3.	1. वित्तीय आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण	9
	अ–केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–	
	1. दुग्ध विकास की राष्ट्रीय योजना (एन0डी0डी0पी0)	9
	2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0)	9–10
	ब–राज्य योजनायें/जिला योजनायें–	
	1. दुग्ध विकास कार्यकम हेतु ग्रामीण अवस्थापना कार्यकम	
	(क) बल्क मिल्क कूलर की स्थापना (सामान्य)	10
	(ख) आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट (सामान्य)	11
	2. सूचना तकनीक व कम्प्यूटरीकरण योजना	11
	3. दुग्ध उत्पादक सदस्यों के सहकारिताओं के अन्तर्गत प्रोत्साहित करना (गोकुल पुरस्कार)	11–12
	4 जनपद कानपुर में मिल्क पाउडर प्लान्ट की स्थापना हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण हेतु बजट प्राविधान	12
	5. पी0सी0डी0एफ0 के सुदृढ़ीकरण हेतु ऋण	13
	6. जनपद कन्नौज में काऊ मिल्क प्लाण्ट की स्थापना हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण	13
	7. विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ स्थित पराग केन्द्र के आधुनिकीकरण हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण	14
	8. पीसीडीएफ के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पीसीडीएफ को ऋण	14
	9. सीजी सिटी लखनऊ में नवनिर्मित प्रशिक्षण केन्द्र में कंप्यूटर लैब की स्थापना।	14–15
	10. दुग्ध संघों/समितियों के सुदृढ़ीकरण, पुर्नगठन एवं विस्तार (जिला योजना) (सामान्य/एस0सी0पी0)	15
	11. दुग्ध उत्पादन वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजना (जिला योजना) (सामान्य/एस0सी0पी0)	16
	12. कृषक प्रशिक्षण कार्यकम (सामान्य/एस0सी0पी0)	16–17
	13. नवीन योजनाएं	17
	13.1 नन्दबाबा पुरस्कार	17
	13.2 डेरी विकास फण्ड की स्थापना।	18
4.	अभियन्त्रण सम्भाग द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण	19
5.	आयोजनागत व्यय	20
6.1.	तालिका वर्ष 2016–17 में दुग्ध संघ में स्थापित दुग्धशालाओं/अवशीतक केन्द्रों की प्रतिष्ठापित क्षमता, कार्यरत दुग्ध समितियां, सदस्यता, दुग्ध उपार्जन एवं नगरीय तरल दूध बिकी	21–22
6.2.	तालिका वर्ष 2017–18 (दिसम्बर 2017 तक) में दुग्ध संघ में स्थापित दुग्धशालाओं/अवशीतक केन्द्रों की प्रतिष्ठापित क्षमता, कार्यरत दुग्ध समितियां, सदस्यता, दुग्ध उपार्जन एवं नगरीय तरल दूध बिकी	23–24
7.	विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था	25
8.	परिशिष्ट	
	(क) समूहवार पदों की सूची	25
	(ख) विभागीय प्रशासनिक व्यवस्था	26
	(ग) उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की प्रशासनिक व्यवस्था	27
	(घ) पीसीडीएफ की प्रशासनिक व्यवस्था	28

1– भूमिका

दुग्ध विकास विभाग की स्वतंत्र रूप से स्थापना वर्ष 1976 में हुई। इससे पूर्व दुग्ध विकास कार्यकम सहकारिता विभाग का एक अंग था। वर्ष 1976 में ही राज्य दुग्ध परिषद का गठन उ0प्र0 दुग्ध अधिनियम 1976 की धारा–3 के अधीन एक निगमित निकाय के रूप में किया गया। इसका प्रमुख कार्यकलाप मुख्यतः दुग्ध संघों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, क्षेत्र आरक्षण, दुग्ध मूल्य निर्धारण एवं दुग्ध उत्पाद विनियमन आदेश लागू करना आदि निर्धारित किया गया।

प्रारम्भ में दुग्ध विकास कार्यकम के प्रभावी संचालन हेतु वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन (पी0सी0डी0एफ0) को एक शीर्ष दुग्ध सहकारी संस्था के रूप में उ0प्र0 सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत गठन किया गया, जिसके द्वारा शिशु दुग्ध आहार निर्माणशाला, मुरादाबाद की स्थापना कर उसका संचालन प्रारम्भ किया गया।

दुग्ध विकास कार्यकम को गतिशीलता प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा आपरेशन फ्लड योजना वर्ष 1970–71 से प्रदेश के 8 जनपदों में चलाई जानी प्रस्तावित हुई, योजना संचालन के प्रारम्भिक चरण में आपरेशन फ्लड कार्यकम के कियान्वयन हेतु पी0सी0डी0एफ0 को कियान्वयन एजेन्सी घोषित किया गया। मात्र तीन जनपद वाराणसी, मेरठ तथा आंशिक रूप से बलिया में वर्ष 1973 से आपरेशन फ्लड योजना प्रारम्भ की गयी। इसके बाद आपरेशन फ्लड द्वितीय चरण का कार्यकम वर्ष 1982–83 से 1987–88 तक तथा आपरेशन फ्लड तृतीय चरण वर्ष 1996–97 तक चला। इसके अन्तर्गत दुग्ध उपार्जन की प्रबल सम्भावनाओं से युक्त प्रदेश के 30 जनपदों का चयन कर उनमें 30 दुग्ध संघों का गठन कर आपरेशन फ्लड योजना को कियान्वित किया गया।

प्रदेश के शेष 21 जनपदों, जो दुग्ध उपार्जन के क्षेत्र में अपेक्षाकृत पिछड़े हुए थे, को नान आपरेशन फ्लड योजना के अन्तर्गत आच्छादित कर उनके विकास हेतु दुग्ध विकास कार्यकमों का कियान्वयन 1992 से (राज्य दुग्ध परिषद द्वारा) प्रारम्भ किया गया।

वर्तमान में सहकारिता के माध्यम से दुग्ध विकास कार्यकमों के कियान्वयन हेतु प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि0, लखनऊ कियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यरत है, जिसके माध्यम से सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के दुग्ध संघों का विलयन करते हुए 19 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यकम चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत सहकारी दुग्ध समितियों का गठन, पुनर्गठन, उनसे दुग्ध उपार्जन व प्रकिया उपरान्त नगरीय उपभोक्ताओं को दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। समितियों के दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सेवायें, कृत्रिम गर्भाधान व पशु स्वास्थ्य सेवायें भी उपलब्ध करायी जाती हैं, ताकि दुग्ध उत्पादन में तदनुसार वृद्धि सुनिश्चित होने के साथ दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो।

(क) दुग्ध विकास विभाग के उद्देश्य

दुग्ध विकास विभाग का मूल उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के निर्बल वर्ग के कृषकों, कृषक मजदूरों एवं भूमिहीनों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके गांव में ही दुग्ध सहकारिताओं का गठन कर उनके ही माध्यम से दुग्ध उपार्जन से संबंधित कार्यक्रम लागू कर उन्हें अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना एवं अधिकतम दुग्ध उपार्जन कर नगरीय क्षेत्र तथा अन्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ, शुद्ध एवं विसंक्रमित दूध एवं विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है।

(ख) विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था

दुग्धशाला विकास विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में दुग्ध आयुक्त, उ0प्र0 और उनके सहायतार्थ लखनऊ स्थित मुख्यालय पर अपर आयुक्त, दुग्धशाला विकास, वित्त नियंत्रक, दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता, संयुक्त दुग्ध आयुक्त (प्रशासन), मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास अधिकारी, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, उप निदेशक (सांख्यिक) एवं सांख्यिक आदि पद स्वीकृत हैं। मण्डल स्तर पर दुग्धशाला विकास अधिकारी और जनपद स्तर पर उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। विभाग के पदों का विवरण परिशिष्ट "क" एवं प्रशासनिक ढॉचा परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

(ग) विभाग के कार्यकलाप

विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे विभिन्न कार्यकलाप मुख्य रूप से निम्नानुसार तीन भागों में विभाजित हैं :–

(क) रेग्यूलेटरी कार्यकलाप –इसके अन्तर्गत विभिन्न नियम/अधिनियम लागू करना, यथा– सहकारी समितियों का निबन्धन, आडिट, पंजीयन, निरीक्षण, इंजीनियरिंग आदि कार्य सम्मिलित हैं।

(ख) विकास संबंधी कार्य– प्रदेश में दुग्धशाला विकास के साथ–साथ दुग्ध उत्पादन में वृद्धि कराना ।

(ग) व्यावसायिक कार्यक्रम– दुग्ध उपार्जन एवं विपणन का कियान्वयन दुग्ध सहकारिताओं के माध्यम से कराना।

(घ) विभाग के कार्यकलापों का ढॉचा

विभाग के प्रमुख के रूप में दुग्ध आयुक्त, उत्तर प्रदेश समस्त दुग्ध समितियों, दुग्ध संघों और शीर्ष स्तर पर पी0सी0डी0एफ0 के रेगुलेटरी कार्यो के लिए उत्तरदायी हैं तथा सहकारिता पद्धति के अंतर्गत निबंधक के दायित्वों का भी निर्वहन करते हैं।

दुग्धशाला विकास विभाग की योजनाओं का बजट नियंत्रण भी दुग्ध आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है।

दुग्धशाला विकास विभाग के सहकारी कार्यकलाप त्रिस्तरीय ढॉचे के माध्यम से कियान्वित किए जा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पर दुग्ध उत्पादक सदस्यों की दुग्ध समितियॉ गठित कर उन्हे दुग्ध उत्पादन उचित मूल्य, उपार्जन के लिए सहायता एवं सुविधाऍं उपलब्ध करायी जाती हैं, उनसे जनपद स्तर पर संचालित दुग्ध संघ द्वारा दुग्ध क्रय किया जाता है। जनपद स्तरीय दुग्ध संघों में प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन (पीसीडीएफ) तथा उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद के माध्यम से दुग्ध उपार्जन/विपणन/समन्वय हेतु तकनीकी एवं व्यावहारिक नियंत्रण प्रभावी है।

(ड.) दुग्ध सहकारिताओं की व्यवसायिक कार्यकुशलता एवं क्षमता में वृद्धि

सहकारिता के क्षेत्र में दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। सर्वप्रथम वर्ष 1917 में 'कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद' की स्थापना के साथ प्रदेश में ही नहीं, वरन् देश में भी यह पहला अवसर था कि जब दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ, परन्तु अगले दो दशकों में इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। वर्ष 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ 'लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0' की स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी, लखनऊ में हुई। आगामी वर्षों में इलाहाबाद 1941, वाराणसी 1947, कानपुर 1948, हल्द्वानी जनपद नैनीताल 1949 (अब उत्तराखण्ड राज्य में) तथा मेरठ 1951 में इसी प्रकार सहकारी दुग्ध संघ स्थापित होते रहे।

प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में हल्द्वानी के अतिरिक्त उस समय तक स्थापित अन्य सभी 5 दुग्ध संघों में पाश्च्युराइजेशन प्लाण्ट स्थापित किये गये तथा वर्ष 1954 में अल्मोड़ा दुग्ध संघ (अब उत्तरांचल राज्य में) स्थापित हुआ।

अतः स्पष्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 1961 तक दुग्धशाला विकास कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में कोई विशेष महत्व नहीं मिला और प्रारम्भ से अब तक मात्र रू0 72.34 लाख की आर्थिक सहायता शासन द्वारा इस कार्यक्रम को उपलब्ध करायी गयी।

प्रदेश में दुग्धशाला विकास को गतिशील बनाने की दिशा में वर्ष **1962 में प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फ़ेडरेशन लि0,** की स्थापना एक तकनीकी सलाहकार संस्था के रूप में की गयी थी। वर्ष 1970–71 में आपरेशन फ्लड–1 योजना प्रदेश के 8 जनपदों में लागू की गयी, जिसकी क्रियान्वयन एजेन्सी इस संस्था को बनाया गया। योजनान्तर्गत मेरठ व वाराणसी में एक–एक लाख लीटर दैनिक दुग्ध हैण्डलिंग क्षमता की दो फीडर बैलेन्सिग दुग्धशालायें एवं 100–100 मीट्रिक टन क्षमता की दो पशु आहार निर्माणशालायें तथा रायबरेली में जर्सी गौ प्रजनन इकाई की स्थापना की गयी।

वर्ष 1975 में गायों की नस्ल सुधार एवं उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि के उददेश्य से **"फ्रीडम फ्राम हंगर कम्पेन, ब्रिटेन"** एवं **"प्रदेश सरकार"** के आर्थिक सहयोग से फेडरेशन द्वारा 1970 में एक संकर पशु प्रजनन परियोजना प्रारम्भ की गयी।

मात्र 8 जनपदों में सीमित होने के कारण आपरेशन फ्लड–1 योजना का इस कार्यक्रम पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। फलतः उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान दुग्धशाला विकास के विस्तारीकरण की ओर गया और दुग्धशाला विकास कार्यक्रम को गतिशील बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा **"उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम, 1976"** पारित कर वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई। वर्ष 1976 में ही सहकारिता विभाग से अलग करते हुए एक पृथक विभाग के रूप में दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना कर **दुग्ध आयुक्त** का पद सृजित किया गया। दुग्ध आयुक्त को सहकारी अधिनियम एवं इसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत दुग्ध सहकारिताओं के संबंध में निबन्धक के अधिकार प्रदत्त किये गये तथा इन्हें विभागाध्यक्ष व राज्य दुग्ध परिषद का सचिव भी नियुक्त किया गया।

उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला प्रदेश है। दुग्धशाला विकास कार्यक्रम को गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और प्रदेश के त्वरित औद्योगिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में देखते हुये प्रत्येक स्तर पर प्रोत्साहित कर रोजगार सृजित किया जाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास कार्यक्रम त्रिस्तरीय ढॉचे के माध्यम से कियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में जहॉ प्रदेश में कार्यरत समितियों के लगभग **3 लाख** से अधिक ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को, जिनमें अधिकांशतः सीमान्त, भूमिहीन अथवा लघु कृषक हैं, दूध का बेहतर एवं लाभकारी मूल्य दिलाना सम्भव हुआ है, वहीं शहरी उपभोक्ताओं को समुचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता का तरल दुग्ध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने में भी सफलता मिली है। दुग्धशाला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी दुग्ध समितियों के गठन/पुनर्गठन, उत्पादकों के प्रशिक्षण, दुग्ध उपार्जन, परिवहन, प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादों का उत्पादन, तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद विपणन अर्थात **'प्री–प्रोडक्शन टू पोस्ट मार्केटिंग'** की समग्र व्यवस्था है।

राज्य दुग्ध परिषद का गठन

"उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम, 1976" की धारा–3 के अन्तर्गत एक निगमित निकाय के रूप में 'उ0प्र0 राज्य दुग्ध परिषद' का गठन किया गया जिसे प्रदेश में दुग्धशाला विकास कार्यक्रम को गतिशील बनाने का दायित्व सौंपा गया। इस संगठन द्वारा लाइसेसिंग कार्यों के साथ–साथ दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों में भी गति प्रदान की गयी। परिषद को प्रथम बार वर्ष 1990 में गैर आपरेशन फ्लड जनपदों, जिन्हें दुग्ध परिषद जनपद कहा गया, में दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु कियान्वयन एजेन्सी घोषित किया गया। इस प्रकार दुग्ध संघों पर प्रभावी नियंत्रण के फलस्वरूप विकास कार्यों में आशातीत सफलता मिली। वर्ष 2004 में दुग्ध विकास कार्यक्रमों के कियान्वयन व व्यवसायिक कार्यों का संचालन समान रुप से आपरेशन फ्लड जनपदों एवं गैर आपरेशन फ्लड जनपदों में करने हेतु प्रादेशिक को–आपरेटिव डेरी फेडरेशन को कियान्वयन एजेन्सी घोषित किया गया। परिषद के कार्यकलापों में क्षेत्र आरक्षण, दुग्ध मूल्य निर्धारण एवं दुग्ध उत्पाद विनिमय आदेश लागू करना मुख्य है।

दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश

(च) कार्यकमवार लक्ष्य एवं उपलब्धि

क0 सं0	मद का नाम	इकाई	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17		वर्ष 2017–18	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (दिसम्बर 2017 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. कार्यरत समिति	(संख्या) (कमिक)	16703	7288	15491	6768	14195	6801
	2. समिति सदस्यता	(लाख में) (कमिक)	7.02	3.09	5.93	3.06	5.97	3.06
	3. दुग्ध उपार्जन	(लाख में) कि0ग्रा0 प्रतिदिन	8.50	4.02	7.34	3.49	10.73	3.36
	4. दुग्ध बिकी	(लाख में) लीटर प्रतिदिन	5.50	2.17	3.92	1.92	4.37	1.702

2. वित्तीय आवश्यकताएं

तालिका– (क)

कार्यकमवार / कार्यकलापवार वर्गीकरण

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4	5	6
	अनुदान संख्या–16(2404)				
1	निदेशन तथा प्रशासन	2011.49	2681.77	2731.77	2932.78
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0)	1954.205	0.01	0.010	0.01
3	दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश	480.00	237.00	237.00	250.00
4	बल्क मिल्क कूलर	0.00	0.01	0.010	0.01
5	आटोमैटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट	330.00	0.01	0.01	0.01
6	सूचना तकनीक एवं कम्प्यूटरीकरण	50.00	99.27	99.27	150.00
7	कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	150.00	150.00	150.00	150.00
8	वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुर्नजीवित करने की योजना के अन्तर्गत दुग्ध संघों को अनुदान	4150.00	4150.00	4150.00	4150.00
9	एमपीडीडी योजनान्तर्गत दुग्ध संघों का पुनर्जीवीकरण	0.00	0.01	0.01	0.01
10	डेयरी विकास फण्ड की स्थापना	0.00	0.00	0.00	1500.00
11	सी0जी0 सिटी, लखनऊ में नवनिर्मित प्रशिक्षण केन्द्र में कंप्यूटर लैब की स्थापना	25.00	70.00	70.00	0.01
12	गोकुल पुरस्कार का वितरण	27.25	53.00	53.00	54.00
13	नन्दबाबा पुरस्कार	0.00	0.00	0.00	52.01
	योग अनुदान संख्या–16(2404)	**9177.95**	**7441.08**	**7491.08**	**9238.84**
	अनुदान संख्या–16(6404)				
14	पी0सी0डी0एफ0 के सुदृढ़ीकरण हेतु ऋण	66792.00	13410.00	11455.00	3800.00
15	जनपद कानपुर में मिल्क पाउडर प्लान्ट की स्थापना हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण	7604.50	3570.50	4379.50	0.01
16	कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पीसीडीएफ को ऋण	6000.00	2500.00	2500.00	2500.00
17	विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ स्थित पराग केन्द्र के आधुनिकीकरण हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण	0.00	0.01	0.01	0.01
18	जनपद कन्नौज में काऊ मिल्क प्लान्ट की स्थापना हेतु पीसीडीएफ को ऋण	0.00	0.00	1146.00	0.00
	योग (अनुदान संख्या–16(6404)– मतदेय	**80396.50**	**19480.51**	**19480.51**	**6300.02**
	कुल योग16 (2404 व 6404)	**89574.45**	**26921.59**	**26971.59**	**15538.86**
	अनुदान संख्या–83–(2404)स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान				
19	दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सुविधा(जिला योजना)	240.00	63.00	63.00	63.00
20	कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	50.00	110.88	110.88	110.88
21	विस्तारीकरण(जि0यो0) / (एस0सी0पी0)	2676.52	1575.00	1575.00	1575.00
	योग(अनुदान संख्या–83)–मतदेय	**2966.52**	**1748.88**	**1748.88**	**1748.88**
	महायोग(अनुदान संख्या–16 एवं 83) – मतदेय	**92540.97**	**28670.47**	**28720.47**	**17287.74**

तालिका– (ख)

आय व्ययक अनुमान का मदवार वर्गीकरण

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	मद	वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4	5	6
	अनुदान संख्या–16(2404/6404)				
1	01–वेतन	936.75	2115.56	2115.56	2200.00
2	03–महंगाई भत्ता	795.24	126.93	126.93	220.00
3	04–यात्रा व्यय	10.34	10.00	10.00	10.00
4	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	6.14	6.00	6.00	6.00
5	06–अन्य भत्ते	88.05	120.00	120.00	120.00
6	08–कार्यालय व्यय	10.10	5.00	5.00	6.00
7	09–विद्युत देय	2.15	4.00	4.00	4.50
8	10–जलकर / जलप्रभार	0.07	1.00	1.00	1.00
9	11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.42	1.50	1.50	2.50
10	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1.00	1.00	1.00	2.00
11	13–टेलीफोन पर व्यय	1.86	2.00	2.00	2.00
12	14–मोटर गाड़ियो का क्रय	0.00	28.00	28.00	28.00
13	15–गाड़ियो का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	7.50	8.00	8.00	8.00
14	16–व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	91.49	72.00	122.00	126.00
15	17–किराया उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	9.88	10.00	10.00	15.00
16	42–अन्य व्यय	0.10	0.10	0.10	0.10
17	44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1.46	0.50	0.50	0.50
18	45–अवकाश यात्रा व्यय	0.00	0.50	0.50	1.00
19	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय	1.49	1.50	1.50	1.50
20	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.50	2.50	2.50	4.00
21	49–चिकित्सा व्यय	40.49	21.00	21.00	30.00
22	51– वर्दी व्यय	0.46	1.00	1.00	1.00
23	52– पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	0.00	143.68	143.68	143.68
	योग(अनुदान संख्या–16)(2404)	2011.49	2681.77	2731.77	2932.78
24	20–सहायता अनुदान	6584.21	4387.02	4387.02	4400.02
25	27– सब्सिडी	380.00	99.28	99.28	150.01
26	30–निवेश / ऋण (6404)	80396.50	19480.51	19480.51	6300.02
27	35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन	25.00	70.01	70.01	0.02
28	42–अन्य व्यय	27.25	53.00	53.00	1606.01
29	44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	150.00	150.00	150.00	150.00
	योग(अनुदान संख्या–16)(6404)	87562.96	24239.82	24239.82	12606.08
	कुल योग(अनुदान संख्या–16(2404 व 6404)– मतदेय	89574.45	26921.59	26971.59	15538.86
	अनुदान संख्या–83–स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान				
30	20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	0.00	0.00	0.00	
31	27–सब्सिडी	2916.52	1638.00	1638.00	1638.00
32	35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन	0.00	0.00	0.00	
33	44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय(कृषको हेतु)	50.00	110.88	110.88	110.88
	योग(अनुदान संख्या–83)(2404)–मतदेय	2966.52	1748.88	1748.88	1748.88
	महायोग(अनुदान संख्या–16 व 83)– मतदेय	92540.97	28670.47	28720.47	17287.74

तालिका– (ग)

वित्तीय संसाधनों के स्रोत (अनुदानवार)

(लाख रूपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य लेखा शीर्षक	वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4	5	6	7
1	16	2404– डेयरी विकास– 6404 डेयरी विकास को कर्ज	89574.45	26921.59	26971.59	15538.86
		योग (अनुदान संख्या–16)– मतदेय	**89574.45**	**26921.59**	**26971.59**	**15538.86**
	83	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान				
2		2404– डेयरी विकास	2966.52	1748.88	1748.88	1748.88
		योग (अनुदान संख्या– 83)– मतदेय	**2966.52**	**1748.88**	**1748.88**	**1748.88**
		कुल योग (अनुदान संख्या–16 एवं 83)	**92540.97**	**28670.47**	**28720.47**	**17287.74**

3–वित्तीय आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण

अ– केन्द्र पुरोनिधानित योजना

1– दुग्ध विकास की राष्ट्रीय योजना (एनडीडीपी)–

वर्ष 2014–15 में पूर्व संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं को पुनर्गठन कर भारत सरकार द्वारा दुग्ध विकास की राष्ट्रीय योजना संचालित की जा रही है। दुग्ध विकास हेतु राष्ट्रीय योजना के उद्देश्य निम्नवत हैः–

1– गुणवत्तायुक्त दुग्ध उत्पादन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण तथा कोल्ड चेन की स्थापना जिससे कि कृषको को उपभोक्ताओं से जोड़ना।
2– दुग्ध उपार्जन प्रसंस्करण तथा विपणन हेतु अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना।
3– दुग्ध उत्पादको हेतु प्रशिक्षण अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना।
4– गॉव स्तर पर दुग्ध सहकारी समितियों/उत्पादक कम्पनियों का सुदृढ़ीकरण।
5– तकनीकी निवेश सुविधाओं यथा पशुआहार, मिनरल मिक्सचर उपलब्ध कराते हुए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।
6–दक्ष/योग्य (वायबिल) दुग्ध संघो/फेडरेशन के पुनर्जीविकरण में सहयोग प्रदान करना।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त मद में हेतु अनुदान संख्या 16 में रू0 0.01 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

अनुदान संख्या–16 (लाख रू0 में)

वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4
0.00	0.01	0.01	0.01

2–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0)–

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(आर0के0वी0वाई0) योजनान्तर्गत जनपद गाजीपुर, बस्ती एवं बहराइच में डेरियों के सुदृढ़ीकरण, उच्चीकरण एवं प्रयोगशालाओं की अवस्थापना विकास हेतु राज्यांश के रूप में रू0 267.25 लाख, पी0सी0डी0एफ0 को मिल्क पार्लर, रेफ्रिजरेटेड वैन, ग्लोसाईन डीप फ्रीजर, वीजी कूलर, आईस बाक्स, प्रिन्ट एण्ड इलेक्ट्रानिक मिडिया में विज्ञापन/कन्ज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम, बल्क वेल्डिंग मशीन, ग्लोसाइन(बल्क वेल्डिंग मशीन हेतु रू0 731.33 लाख, जनपद मिर्जापुर, इलाहाबाद, अलीगढ़, नोएडा (गौतमबुद्धनगर), झॉसी, फैजाबाद, बरेली, आजमगढ़, शाहजहॉपुर, बुलन्दशहर एवं जौनपुर में डेरियों के सुदृढ़ीकरण, उच्चीकरण एवं प्रयोगशालाओं की अवस्थापना विकास हेतु राज्यांश के रूप में रू0 651.00 लाख तथा जनपद अम्बेडकरनगर, इटावा, बिजनौर, सुल्तानपुर, पशुआहार निर्माणशाला वाराणसी एवं मेरठ मिनरल मिक्सचर प्लाण्ट में डेरियों के सुदृढ़ीकरण, उच्चीकरण एवं प्रयोगशालाओं की अवस्थापना विकास हेतु रू0 304.125 लाख, इस प्रकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाइ (आर0के0वी0वाई0) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में

प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख के सापेक्ष रू0 1954.205 लाख उपलब्ध कराया गया।

वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु उक्त मद में अनुदान संख्या 16 में रू0 0.01 लाख की धनराशि टोकन के रूप में प्रस्तावित है एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु उक्त मद में अनुदान संख्या 16 में रू0 0.01 लाख टोकन के रूप में प्रस्तावित है।

अनुदान संख्या–16 (लाख रू0 में)

वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4
1954.205	0.01	0.01	0.01

ब–राज्य योजनायें / जिला योजनायें

1- दुग्ध विकास कार्यकम हेतु ग्रामीण अवस्थापना सुविधा

(क) बल्क मिल्क कूलर की स्थापना (सामान्य):– इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलो में नई गठित, पुनर्गठित समितियों में पॉच से दस समितियों को कलस्टर यूनिट बनाने हेतु बल्क मिल्क कूलर लगाया जायेगा, इससे दूध की तत्काल चिलिंग की प्रकिया होने से दूध की गुणवत्ता बनी रहेगी और वाहन / टैंकर से दूध दुग्धशालाओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2017–18 में योजनान्तर्गत कोई बजट प्राविधान उपलब्ध नही है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त मद में अनुदान संख्या–16 में रू0 0.01 लाख प्रस्तावित है।

अनुदान संख्या–16 (लाख रू0 में)

वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4
–	0.01	0.01	0.01

(ख) आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट (सामान्य):–

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अनुसूचित जाति के सदस्यों हेतु नवगठित/पुनर्गठित दुग्ध समितियों को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दूध की नाप तौल, परीक्षण व दुग्ध मूल्य की जानकारी तत्काल दुग्ध उत्पादक को डिस्प्ले यूनिट पर प्राप्त कराने व पारदर्शिता, समिति के प्रति विश्वास उत्पन्न होने हेतु आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट की स्थापना व दूध की गुणवत्ता को बनाये रखने के उद्देश्य से बल्क मिल्क कूलर की स्थापना कार्यकम आच्छादित है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त मद में अनुदान संख्या–16 में रू0 0.01 लाख प्रस्तावित है।

अनुदान संख्या–16 (लाख रू0 में)

वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4
330.00	0.01	0.01	0.01

2– सूचना तकनीकी एवं कम्प्यूटरीकरण योजना:–

इस योजना में दुग्धशाला विकास विभाग के अन्तर्गत आच्छादित समस्त दुग्ध संघो, प्रशिक्षण केन्द्रों, क्षेत्रीय मार्केटिंग कार्यालयों, कार्यदायी संस्थाओं एवं मुख्यालय आदि के क्रियाकलापों को आधुनिक पद्धति पर एक रूपता लाने हेतु संचार व्यवस्था व कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था करते हुए मुख्यालय से सभी संस्थानों/कार्यालयों में नेटवर्क स्थापित किये जाने का कार्यक्रम आच्छादित है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त मद में अनुदान संख्या–16 में रू0 150.00 लाख प्रस्तावित है।

अनुदान संख्या–16 (लाख रू0 में)

वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4
50.00	99.27	99.27	150.00

3–दुग्ध उत्पादक सदस्यों को सहकारिताओं के अन्तर्गत प्रोत्साहित करना (गोकुल पुरस्कार):–

इस योजना के अन्तर्गत दुग्ध सहकारिताओं से सम्बद्ध दुग्ध उत्पादकों को उनके मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने एवं दुधारू पशुओं के अच्छे रख–रखाव हेतु प्रोत्साहित कर अधिक दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के जनपदो में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित कर दुग्ध समिति के माध्यम से दुग्ध संघों को सर्वाधिक दूध विक्रय करने वाले दुग्ध उत्पादक को जनपद स्तर

पर रू0 51000.00 नकद एवं प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित करने वाले प्रथम दो प्रथम उत्पादको को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार कमशः रू0 1.50 लाख एवं रू0 1.00 लाख नकद तथा गाय–बछड़ा के साथ श्री कृष्ण की मूर्ति की एक शील्ड प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 से सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित करने वाले दुग्ध उत्पादक का जनपद स्तर पर रू0 51000.00 नकद एवं प्रदेश स्तर पर प्रथम दो उत्पादको को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार कमशः रू0 2.00 लाख एवं रू0 1.50 लाख नकद तथा प्रमाण पत्र व शील्ड प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त मद में अनुदान संख्या–16 में रू0 54.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

अनुदान संख्या–16 (लाख रू0 में)

वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4
27.25	53.00	53.00	54.00

4–जनपद कानपुर में मिल्क पाउडर प्लाण्ट की स्थापना हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण–

कानपुर दुग्धशाला में 20मी0टन दैनिक क्षमता के पाउडर प्लाण्ट की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 उक्त मद में अनुदान संख्या–16 में मूल बजट प्राविधान रू0 3570.50 लाख एवं पुनर्विनियोग के माध्यम से आय–व्ययक में धनराशि रू0 809.00 लाख, इस प्रकार कुल प्राविधानित धनराशि रू0 4379.50 लाख के सापेक्ष 4379.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त मद में अनुदान संख्या–16 में रू0 0.01 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

अनुदान संख्या–16 (लाख रू0 में)

वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4
7604.50	3570.50	4379.50	0.01

5– पी0सी0डी0एफ0 के सुदृढ़ीकरण हेतु ऋणः–

दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नये डेयरी प्लाण्टों की स्थापना एवं पुनरूद्धार हेतु पूँजी निवेश/ऋण के रूप में वित्तीय वर्ष 2017–18 में आय–व्ययक प्राविधान में रू0 13410.00 लाख के सापेक्ष रू0 1250.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति अद्यतन तक निर्गत हो चुकी है।

उक्त धनराशि रू0 13410.00 में से रू0 809.00 लाख एवं 1146.00 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 1955.00 लाख अन्य योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग किया गया।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त मद में अनुदान संख्या 16 में रू0 3800.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

अनुदान संख्या–16 (लाख रू0 में)

वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4
66792.00	13410.00	11455.00	3800.00

6– जनपद कन्नौज में काऊ मिल्क प्लाण्ट की स्थापना हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋणः–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में जनपद कन्नौज में काऊ मिल्क प्लाण्ट की स्थापना हेतु पूँजी निवेश/ऋण के रूप में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुदान संख्या–16 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष रू0 1000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में कोई धनराशि प्रस्तावित नही है, परन्तु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु 1146.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हो चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त मद में कोई धनराशि प्रस्तावित नही की गयी है।

अनुदान संख्या–16 (लाख रू0 में)

वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4
–	–	1146.00	–

7–विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ स्थित पराग केन्द्र के आधुनिकीकरण हेतु पी0सी0डी0एफ0 को ऋण–

वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ स्थित पराग केन्द्र के (वेव सिनेमा हाल के बगल में) आधुनिकीकरण के लिये पी0सी0डी0एफ0 को पूँजीनिवेश/ऋण के रूप में अनुदान संख्या–16 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 0.01 लाख उपलब्ध है।
वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त मद में अनुदान संख्या–16 में रू0 0.01 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

अनुदान संख्या–16 (लाख रू0 में)

वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4
0.00	0.01	0.01	0.01

8–पीसीडीएफ के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पीसीडीएफ को ऋण –

इस योजनान्तर्गत लेखाशीर्षक–6404 डेयरी विकास के लिए कर्ज 190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज–05 कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु पीसीडीएफ को ऋण।

अनुदान संख्या–16 (लाख रू0 में)

वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4
6000	2500	2500	2500

9– सी0जी0 सिटी, लखनऊ में नवनिर्मित प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर लैब की स्थापना–

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में सी0जी0 सिटी लखनऊ में नवनिर्मित प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुदान संख्या–16 के आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 70.00 लाख के सापेक्ष शत प्रतिशत वित्तीय स्वीकृति निर्गत हो चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिये अनुदान संख्या–16 में रू0 0.01 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित है।

अनुदान संख्या–16 (लाख रू0 में)

वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4
25.00	70.00	70.00	0.01

10- दुग्ध संघों/समितियों के सुदृढ़ीकरण, पुर्नगठन एवं विस्तार (जिला योजना) (सामान्य/एस0सी0पी0):–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में दुग्ध उत्पादक सदस्यों की भागीदारी बढाने हेतु दुग्ध संघों/समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में दुग्ध सहकारी समितियों को गठित व बन्द दुग्ध समितियों को पुनर्गठित कर ग्रामीण दुग्ध समितियों को संचालित करने के लिए कार्यशील पूँजी, प्रबन्धकीय अनुदान, यातायात अनुदान, हेड लोड अनुदान दुग्ध केन्द्रों एवं समिति पर वांछित अन्य आवश्यक उपकरण वाहन, दुग्धशाला/अवशीतन केन्द्रों की स्थापना, विस्तार एवं भूमि क्रय आदि की व्यवस्था है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान सं0–16 के अन्तर्गत उपलब्ध आय–व्ययक रू0 4150.00 लाख के सापेक्ष रू0 4150.00 लाख तथा अनुदान सं0–83 के अन्तर्गत उपलब्ध आय–व्ययक रू0 1575.00 लाख के सापेक्ष रू0 1575.00 लाख की वित्तीय सहायता समिति गठन, समिति पुनर्गठन, कार्यशील पूँजी/प्रबन्धकीय/यातायात अनुदान हेतु वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त मद में अनुदान संख्या–16 व 83 में कमशः रू0 4150.00 लाख एवं रू0 1575.00 लाख प्रस्तावित है।

अनुदान संख्या–16 (लाख रू0 में)

वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4
4150.00	4150.00	4150.00	4150.00

अनुदान संख्या–83 (लाख रू0 में)

वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4
2676.52	1575.00	1575.00	1575.00

11– दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजना (जिला योजना) (सामान्य/एस0सी0पी0):–

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों के दुधारू पशुओं को तकनीकी निवेश सुविधायें (पशु प्रजनन एवं पशु स्वास्थ्य कार्यकम) यथा डीवार्मिंग, टीकाकरण, नस्ल सुधार कार्यकम, प्रचार–प्रसार, काफरैली आदि सुविधा उपलब्ध कराते हुए उनके पशुओं के स्वास्थ्य, नस्ल सुधार करके दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाया जाना है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों के दुधारू पशुओ को तकनीकी निवेश कार्यकम (टी0आई0पी0) के अर्न्तगत दुग्ध उत्पादको के पशुओं को स्वस्थ रखने एवं बीमारियों से बचाने हेतु डिर्वमर, मैस्टाइटिस एवं टिक कन्ट्रोल आदि की दवायें वितरित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान सं0–16 व 83 के अन्तर्गत उपलब्ध आय–व्ययक रू0 कमशः 237.00 लाख एवं 63.00 लाख, कुल 300.00 लाख के सापेक्ष कुल रू0 300.00 लाख की वित्तीय सहायता पशु स्वास्थ्य कार्यकमों हेतु स्वीकृत की गयी।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त मद में अनुदान संख्या–16 एवं 83 में कमशः रू0 250.00 लाख एवं रू0 63.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

अनुदान संख्या–16 (लाख रू0 में)

वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4
480.00	237.00	237.00	250.00

अनुदान संख्या–83 (लाख रू0 में)

वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4
240.00	63.00	63.00	63.00

12–कृषक प्रशिक्षण कार्यकम (सामान्य/एस0सी0पी0) :–

दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं में ए0आई0 कार्यकर्ता, प्रबन्ध कमेटी सदस्य, ए0आई0 रिफ्रेसर, प्रोग्रेसिव प्रोड्यूसर, क्लीन मिल्क प्रोड्यूसर, मार्केटिंग स्टाफ, ए0एम0सी0यू0 व बी0एम0सी0 आपरेटर आदि के प्रशिक्षण कार्य आच्छादित है, साथ ही उपभोक्ताओं एवं दुग्ध उत्पादकों के जागरूकता हेतु प्रशिक्षण कार्यकम भी संचालित किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान सं0–16 व 83 के अन्तर्गत उपलब्ध आय–व्ययक कमशः रू0 150.00 लाख एवं रू0 110.88 लाख, कुल रू0 260.88 लाख के सापेक्ष कुल रू0 260.88 लाख की वित्तीय स्वीकृति करायी गयी।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में उक्त मद में अनुदान संख्या–16 एवं 83 में कमशः रू0 150.00 लाख एवं रू0 110.88 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

अनुदान संख्या–16 (लाख रू0 में)

वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4
150.00	150.00	150.00	150.00

अनुदान संख्या–83 (लाख रू0 में)

वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4
50.00	110.88	110.88	110.88

13–नवीन योजनाएं :–

स्थापित योजनाओ के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2018–19 से कतिपय बहुउद्देशीय निम्न नवीन योजनाओं का शुभारम्भ किये जाने की योजना है, जिनका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है–

13.1– नन्द बाबा पुरस्कार–

देशी नस्ल की गाय के माध्यम से दुग्ध उत्पादन करने वाले दुग्ध उत्पादक सदस्यों को सहकारिता के अन्तर्गत प्रोत्साहित करना– इस योजनान्तर्गत वर्ष 2017–18 के आधार पर प्रदेश के 75 जनपदो में सहकारी दुग्ध समितियों को सर्वाधिक देशी नस्ल की गाय के दुग्ध की आपूर्ति करने वाले 75 दुग्ध उत्पादकों को (नन्द बाबा पुरस्कार) से सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है।

इस योजना में देशी नस्ल की गाय से सर्वाधिक दूध, दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध संघ को विक्रय करने वाले उत्पादक को जनपद स्तर पर रू0 51.00 हजार एवं प्रदेश स्तर पर रू0 1.00 लाख तथा प्रत्येक लाभार्थी को प्रमाण पत्र एवं प्रतीक चिन्ह दिया जाना प्रस्तावित है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2018–19 में उक्त मद में अनुदान संख्या–16 में रू0 52.01 लाख प्रस्तावित है।

अनुदान संख्या–16 (लाख रू0 में)

वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4
0.00	0.00	0.00	52.01

13.2– डेरी विकास फण्ड की स्थापना–

उत्तर प्रदेश में दुग्ध कांति लाये जाने के दृष्टिगत डेरी विकास फण्ड की स्थापना हेतु वर्तमान सरकार के लोक कल्याण संकल्प के अन्तर्गत प्रदेश में वृहद स्तर पर दुग्ध विकास कार्यकमों को संचालित करने एवं दुग्ध विकास से संबंधित गतिविधियों को एक नवीन आयाम व दिशा प्रदान किये जाने की दृष्टि से एक डेरी विकास फण्ड की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित फण्ड के माध्यम से प्रदेश में दुग्ध विकास के उत्थान हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय को प्रोत्साहित करने में कोष का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष– 2018–19 के लिए अनुदान संख्या–16 में रू0 1500.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

अनुदान संख्या–16 (लाख रू0 में)

वास्तविक व्यय 2016–17	आय–व्ययक प्राविधान 2017–18	पुनरीक्षित अनुमान 2017–18	आय–व्ययक अनुमान 2018–19
1	2	3	4
0.00	0.00	0.00	1500.00

4. अभियन्त्रण सम्भाग द्वारा कराये गये कार्यों का विवरण

1. जनपद कानपुर नगर में 4.00 लाख ली0 प्रतिदिन क्षमता की पूर्ण स्वचालित डेरी प्लान्ट एवं 20 मीट्रिक टन दैनिक क्षमता पाउडर प्लान्ट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
2. जनपद कन्नौज में 1.00 लाख ली0 प्रतिदिन क्षमता के गाय के दूध के यू0एच0टी0 संस्करण से सम्बन्धित प्लान्ट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
3. जनपद फिरोजाबाद में 1.00 लाख ली0 प्रतिदिन क्षमता के डेयरी प्लान्ट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
4. जनपद लखनऊ में 3.00 लाख ली0 प्रतिदिन क्षमता का मल्टी प्रोडक्ट डेरी फूड प्लान्ट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
5. जनपद मुरादाबाद में 1.00 लाख ली0 प्रतिदिन क्षमता का मल्टी प्रोडक्ट डेरी फूड प्लान्ट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
6. जनपद गोरखपुर में 1.00 लाख ली0 प्रतिदिन क्षमता का मल्टी प्रोडक्ट डेरी फूड प्लान्ट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
7. जनपद मेरठ में 4.00 लाख ली0 प्रतिदिन क्षमता का मल्टी प्रोडक्ट डेरी फूड प्लान्ट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
8. जनपद फैजाबाद में 0.50 लाख ली0 प्रतिदिन क्षमता की मल्टी प्रोडक्ट डेरी फूड प्लान्ट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
9. जनपद बरेली मे 1.00 लाख ली0 प्रतिदिन क्षमता का मल्टी प्रोडक्ट डेरी फूड प्लान्ट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
10. जनपद वाराणसी में 4.00 लाख ली0 प्रतिदिन क्षमता का मल्टी प्रोडक्ट डेरी फूड प्लान्ट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
11. विभिन्न जनपदों के प्लान्ट्स यथा –इलाहाबाद, झाँसी, अलीगढ़ एवं पराग डेरी नोयडा के सुदृढीकरण का कार्य प्रगति पर है।
12. प्रदेश के विभिन्न 75 जनपदों में बल्क मिल्क कूलर कूल चेन नेटवर्क स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
13. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ट्रांजिट हानि आनलाइन मानीटिरिंग सिस्टम (सोलर बेस्ड डीपीएमसीयू) की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
14. गुणवत्ता लैब का सुदृढीकरण का कार्य प्रगति पर है।
15. जनपद कन्नौज में आवासीय भवनों का निर्माण का कार्य प्रगति पर है।
16. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में डीप फ्रीज, बीजी कूलर इत्यादि के क्रय का कार्य पूर्ण हो गया है। संस्थापन का कार्य गतिमान है।

5. आयोजनागत व्यय

प्रदेश में डेरी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आरम्भ से बारहवी पंचवर्षीय योजना (मार्च, 2017) तक राज्य योजनान्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा रू0 200937.298 लाख रूपये का अयोजनागत पक्ष में व्यय किया जा चुका है। आरम्भ से बारहवीं पंचवर्षीय योजना तक एवं वार्षिक योजना वित्तीय वर्ष 2017–18 का अद्यतन व्यय विवरण निम्नवत है–

क्र0सं0	योजना अवधि	वर्ष	व्यय लाख रूपये में
1–	आरम्भ से प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ तक	.....	32.340
2–	प्रथम पंचवर्षीय योजना	1951–1956	19.000
3–	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	1956–1961	21.000
4–	तृतीय पंचवर्षीय योजना	1961–1966	385.000
5–	तीन वार्षिक योजनायें	1966–1969	162.000
6–	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना	1669–1974	509.000
7–	पंचम् पंचवर्षीय योजना	1974–1978	436.000
8–	दो वार्षिक योजना	1978–1980	286.760
9–	षष्टम पंचवर्षीय योजना	1980–1985	2821.507
10–	सप्तम पंचवर्षीय योजना	1985–1990	3179.440
11–	वार्षिक योजना	1990–1991	1398.900
12–	वार्षिक योजना	1991–1992	1185.190
13–	अष्टम पंचवर्षीय योजना	1992–1997	12040.880
14–	नवम पंचवर्षीय योजना	1997–2002	2054.460
15–	दसवीं पंचवर्षीय योजना	2002–2007	5596.320
16–	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	2007–2012	25834.446
17–	बारहवी पंचवर्षीय योजना	2012–2017	144975.055
	योग		200937.298
1–	वार्षिक योजना (निदेशन तथा प्रकाशन की धनराशि सहित) माह दिसम्बर, 2017 तक	2017–2018	11164.48

तालिका–1

वर्ष 2016–17 में दुग्धसंघ क्षेत्र में स्थापित दुग्धशालाओं/अवशीतक केन्द्रों की प्रतिष्ठापित क्षमता, कार्यरत सहकारी दुग्ध समितियाँ, सदस्यता, दुग्ध उपार्जन एवं नगरीय तरल दूध बिक्री

क्रम सं0	नाम दुग्ध संघ	नाम ऐंकर डेरी	दैनिक क्षमता (हजार ली0)		दुग्ध चूर्ण क्षमता (मी0टन)	कार्यरत समितियाँ	कार्यरत सदस्यता हजार में	समितियों से औसत दै0 दुग्ध उपा0 (ह0किग्रा0)	औसत दै0 नगरीय तरल दुग्ध बिक्री (ह0ली0)
			दुग्धशाला	अवशीतक केन्द्र					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मेरठ+बागपत		350.00	-	30	436	19.460	48.230	31.980
2	गाजियाबाद		30.00	-	-	32	1.320	1.530	4.940
3	पराग डेरी नोएडा		400.00	20.00	-	26	2.830	4.030	14.140
4	बुलन्द शहर		60.00	30.00	-	123	7.390	10.020	1.010
	योग मेरठ मण्डल	*मेरठ*	**840.00**	**50.00**	**30**	**617**	**31.000**	**63.810**	**52.070**
5	सहारनपुर		-	30.00	-	72	3.098	4.549	0.370
6	मुजफ्फरनगर		20.00	40.00	-	74	9.499	2.294	2.300
	योग सहारनपुर मण्डल	*मुजफ्फरनगर*	**20.00**	**70.00**	**0**	**146**	**12.597**	**6.843**	**2.670**
7	बिजनौर		-	30.00	-	403	13.702	12.989	1.820
8	मुरादाबाद		150.00			234	10.745	12.931	4.550
9	रामपुर★			-	-	48	1.936	2.244	0.000
10	जे0पी0 नगर		-	30.00	-	95	3.710	8.477	0.250
	योग मुरादाबाद मण्डल	*मुरादाबाद*	**150.00**	**60.00**	**0**	**780**	**30.093**	**36.641**	**6.620**
11	मथुरा		30.00	-	-	29	0.957	3.141	0.050
12	आगरा		30.00	30.00	-	113	3.616	5.759	3.560
13	फिरोजाबाद		-	20.00	-	161	4.951	9.564	0.020
14	मैनपुरी★		-	30.00	-	29	0.899	1.925	0.120
	योग आगरा मण्डल	*आगरा*	**60.00**	**80.00**	**0**	**332**	**10.423**	**20.389**	**3.750**
15	अलीगढ		60.00	-	-	61	2.623	3.031	1.350
16	एटा★		-	30.00	-	37	1.591	0.723	0.050
	योग अलीगढ़ मण्डल	*अलीगढ़*	**60.00**	**30.00**	**0**	**98**	**4.214**	**3.754**	**1.400**
म क्षेत्र			***1130.00***	***290.00***	***30***	***1973***	***88.327***	***131.437***	***66.510***
			रूहेलखण्ड क्षेत्र:–						
17	बदायूँ★		-	55.00	-	68	2.856	17.544	0.000
18	बरेली		30.00	20.00	-	91	3.640	2.016	0.490
19	पीलीभीत★		-	-	-	34	1.440	0.768	0.090
20	शाहजहाँपुर		20.00	-	-	323	14.307	10.047	6.670
	योग बरेली मण्डल	*बरेली*	**50.00**	**75.00**	**0**	**516**	**22.243**	**30.375**	**7.250**
योग रूहेलखण्ड क्षेत्र			***50.00***	***75.00***	***0***	***516***	***22.243***	***30.375***	***7.250***
			पूर्वान्चल क्षेत्र 1 :–						
21	फतेहपुर★		-	40.00	-	27	1.585	1.725	0.480
22	प्रतापगढ		-	10.00	-	34	1.041	2.223	0.790
23	इलाहाबाद		60.00	-	-	178	9.120	5.165	6.080
	योग इलाहाबाद मण्डल		**60.00**	**50.00**	**0**	**239**	**11.746**	**9.113**	**7.350**
24	जौनपुर★		10.00	-	-	40	2.630	1.136	0.440
25	गाजीपुर★		-	20.00	-	39	1.386	0.510	0.640
26	वाराणसी		100.00	-	-	343	12.732	11.402	12.440
	योग वाराणसी मण्डल	*वाराणसी*	**110.00**	**20.00**	**0**	**422**	**16.748**	**13.048**	**13.520**
27	मिर्जापुर		-	10.00	-	84	2.619	2.907	0.830
	योग विन्ध्याचल मण्डल	*मिर्जापुर*	**0.00**	**10.00**	**0**	**84**	**2.619**	**2.907**	**0.830**
योग पूर्वान्चल क्षेत्र 1			***170.00***	***80.00***	***0***	***745***	***31.113***	***25.068***	***21.700***
			पूर्वान्चल क्षेत्र 2 :–						
28	गोरखपुर		20.00	-	-	123	4.067	2.727	5.550
29	महाराजगंज★		-	-	-	11	0.342	0.008	0.150
30	देवरिया		-	10.00	-	49	1.618	1.747	0.540

31	कुशीनगर#		-	2.00	-	16	0.530	0.218	0.080
	योग गोरखपुर मण्डल	*गोरखपुर*	**20.00**	**12.00**	**0**	**199**	**6.557**	**4.700**	**6.320**
32	आजमगढ		10.00		-	69	3.763	1.457	1.200
33	मऊ#		-	2.00	-	13	0.520	0.297	0.190
34	बलिया		-	20.00		169	5.230	3.672	2.330
	योग आजमगढ मण्डल	*आजमगढ*	**10.00**	**22.00**	**0**	**251**	**9.513**	**5.426**	**3.720**
35	सिद्धार्थ नगर★		-		-	24	0.720	0.062	0.570
36	बस्ती		10.00	20.00	-	172	9.110	2.861	1.120
	योग बस्ती मण्डल	*बस्ती*	**10.00**	**20.00**	**0**	**196**	**9.830**	**2.923**	**1.690**
37	बहराइच		-	10.00		62	2.530	3.157	1.010
38	श्रावस्ती★		-		-	27	1.160	0.958	0.000
39	गोण्डा		-	20.00		323	12.790	14.865	1.680
40	बलरामपुर		-	10.00	-	55	1.798	0.778	0.320
	योग देवीपाटन मण्डल	*गोण्डा*	**0.00**	**40.00**	**0**	**467**	**18.278**	**19.758**	**3.010**
योग पूर्वान्चल क्षेत्र 2			***40.00***	***94.00***	***0***	***1113***	***44.178***	***32.807***	***14.740***
				अवध क्षेत्र :-					
41	फर्रूखाबाद		-	30.00	-	153	8.997	6.710	0.390
42	कन्नौज		-	30.00	-	76	2.642	3.153	0.210
43	इटावा		-	20.00	-	99	9.492	6.605	0.020
44	कानपुर		150.00	40.00	-	41	1.658	2.206	2.990
	योग कानपुर मण्डल	*कानपुर*	**150.00**	**120.00**	**0**	**369**	**22.789**	**18.674**	**3.610**
45	लखीमपुर		-	20.00	-	119	4.887	9.848	0.010
46	सीतापुर		10.00	20.00	-	94	3.956	4.115	1.670
47	हरदोई★		-	30.00	-	32	0.475	1.286	1.030
48	उन्नाव★		-	20.00	-	4	0.122	0.252	0.690
49	लखनऊ		150.00	-	-	562	33.385	44.324	50.130
50	रायबरेली★		20.00	-	-	79	3.171	2.933	2.210
	योग लखनऊ मण्डल	*लखनऊ*	**180.00**	**90.00**	**0**	**890**	**45.996**	**62.758**	**55.740**
51	बाराबंकी★		-	50.00	-	152	12.204	7.335	2.440
52	फैजाबाद		20.00	-	-	248	8.942	9.188	7.550
53	अम्बेडकरनगर		-	20.00	-	315	13.642	13.428	1.120
54	सुल्तानपुर		-	20.00	-	229	8.647	10.432	4.610
	योग फैजाबाद मण्डल	*फैजाबाद*	**20.00**	**90.00**	**0**	**944**	**43.435**	**40.383**	**15.720**
योग अवध क्षेत्र			***350.00***	***300.00***	***0***	***2203***	***112.220***	***121.815***	***75.070***
				बुन्देलखण्ड क्षेत्र :-					
55	जालौन ★		10.00		-	34	1.340	0.765	0.670
56	झाँसी+ललितपुर		10.00	5.00	-	101	3.961	5.913	6.250
	योग झाँसी मण्डल	*झाँसी*	**20.00**	**5.00**	**0**	**135**	**5.301**	**6.678**	**6.920**
57	हमीरपुर★		-	10.00	-	30	0.953	0.424	0.270
58	चित्रकूट (कर्वी)		10.00	-	-	23	0.890	0.381	0.010
59	बाँदा★		-	10.00	-	30	0.810	0.564	0.000
	योग चित्रकूट मण्डल	*कर्वी (चित्र*	**10.00**	**20.00**	**0**	**83**	**2.653**	**1.369**	**0.280**
योग बुन्देलखण्ड क्षेत्र			**30.00**	**25.00**	**0**	***218***	***7.954***	***8.047***	***7.200***
	महायोग		***1770.00***	***864.00***	***30***	***6768***	***306.035***	***349.549***	***192.470***

नोट–1– # बी0एम0सी0के माध्यम से अवशीतन का कार्य।

2– ★ बी0एम0सी0 की अवशीतन क्षमता सम्मिलित नहीं है।

तालिका–2

वर्ष 2017.18 (दिसम्बर 2017 तक) में दुग्धसंघ क्षेत्र में स्थापित दुग्धशालाओं/अवशीतक केन्द्रों की प्रतिष्ठापित क्षमता, कार्यरत सहकारी दुग्ध समितियों, सदस्यता, दुग्ध उपार्जन एवं नगरीय तरल दूध बिक्री

क्रम	नाम दुग्ध संघ	नाम ऐकर डेरी	दैनिक क्षमता (हजार ली०)		दुग्ध चूर्ण क्षमता (मी०टन)	कार्यरत समितियाँ	कार्यरत सदस्यता हजार में	समितियों से औसत दै० दुग्ध उपा० (ह०किग्रा०)	औसत दै० नगरीय तरल दुग्ध बिक्री (ह०ली०)
			दुग्धशाला	अवशीतन केन्द्र					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	मेरठ+बागपत		400.00	-	30.00	470	21.617	53.223	30.46
2	गाजियाबाद		0.00	-	-	64	2.681	4.237	4.530
3	पराग डेरी नोएडा		400.00	20.00	-	39	2.407	5.996	6.31
4	बुलन्द शहर		0.00	30.00	-	143	7.811	10.895	1.16
	योग मेरठ मण्डल	*मेरठ*	**800.00**	**50.00**	**30.00**	**716**	**34.516**	**74.351**	**42.46**
5	सहारनपुर		0.00	30.00	-	72	6.170	3.599	0.260
6	मुजफ्फरनगर		20.00	60.00	-	80	7.412	6.517	1.550
	योग सहारनपुर मण्डल	*मुजफ्फरनगर*	**20.00**	**90.00**	**0**	**152**	**13.582**	**10.116**	**1.810**
7	बिजनौर		0.00	30.00	-	385	13.475	12.513	1.630
8	मुरादाबाद		100.00			295	13.105	20.291	4.980
9	रामपुर★		0.00	-	-	53	2.015	2.900	0.190
10	जे०पी० नगर		0.00	30.00	-	121	4.960	7.938	0.480
	योग मुरादाबाद मण्डल	*मुरादाबाद*	**100.00**	**60.00**	**0**	**854**	**33.555**	**43.642**	**7.280**
11	मथुरा		100.00	-	-	84	3.463	5.185	0.050
	योग मथुरा मण्डल	*मथुरा*	**100.00**			84	**3.463**	**5.185**	**0.050**
12	आगरा		30.00	60.00	-	98	3.92	5.337	2.64
13	फिरोजाबाद		100.00	30.00	-	47	1.88	3.96	0.07
14	मैनपुरी★		0.00	30.00	-	9	0.36	0.775	0.100
	योग आगरा मण्डल	*आगरा*	**130.00**	**120.00**	**0**	**154**	**6.160**	**10.072**	**2.810**
15	अलीगढ़		60.00	-	-	102	4.59	4.143	1.32
16	एटा★		0.00	20.00	-	42	1.89	0.808	0.08
	योग अलीगढ़ मण्डल	*अलीगढ़*	**60.00**	**20.00**	**0**	**144**	**6.480**	**4.951**	**1.400**
योग पश्चिम क्षेत्र			***1210.00***	***340.00***	***30.00***	***2104***	***97.756***	***148.317***	***55.810***
रूहेलखण्ड क्षेत्र:–									
17	बदायूँ★		0.00	55.00	-	165	8.848	13.371	0.030
18	बरेली		100.00	-	-	115	4.726	3.22	0.520
19	पीलीभीत★		0.00	10.00	-	20	0.836	0.544	0.09
20	शाहजहाँपुर		20.00		-	295	12.411	10.653	7.01
	योग बरेली मण्डल	*बरेली*	**120.00**	**65.00**	**0**	**595**	**26.821**	**27.788**	**7.650**
योग रूहेलखण्ड क्षेत्र			***120.00***	***65.00***	***0***	**595**	**26.821**	**27.788**	**7.650**
पूर्वान्चल क्षेत्र 1 :–									
21	फतेहपुर★		0.00	50.00	-	18	0.582	1.462	0.28
22	प्रतापगढ़		0.00	10.00	-	28	0.735	1.376	0.440
23	इलाहाबाद		60.00	-	-	158	6.858	3.732	4.100
	योग इलाहाबाद मण्ड	*इलाहाबाद*	**60.00**	**60.00**	**0**	**204**	**8.175**	**6.570**	**4.820**
24	जौनपुर★		0.00	20.00	-	46	1.89	0.845	0.4
25	गाजीपुर★		0.00	20.00	-	67	2.782	0.479	0.340
26	वाराणसी		400.00	-	-	308	12.42	9.696	11.950
	योग वाराणसी मण्डल	*वाराणसी*	**400.00**	**40.00**	**0**	**421**	**17.092**	**11.020**	**12.690**
27	मिर्जापुर		0.00	10.00	-	93	2.890	2.392	1.230
	योग विन्ध्याचल मण्ड	*मिर्जापुर*	**0.00**	**10.00**	**0**	**93**	**2.890**	**2.392**	**1.230**
योग पूर्वान्चल क्षेत्र 1			***460.00***	***110.00***	***0***	***718***	***28.157***	***19.982***	***18.740***

					पूर्वान्चल क्षेत्र 2 :–				
28	गोरखपुर		100.00	-	-	100	3.961	1.810	4.520
29	महाराजगंज*		0.00	1.00	-	14	0.553	0.089	0.250
30	देवरिया		0.00	10.00	-	35	1.394	1.037	0.530
31	कुशीनगर#		0.00	-	-	17	0.670	0.368	0.190
	योग गोरखपुर मण्डल	*गोरखपुर*	**100.00**	**11.00**	**0**	**166**	**6.578**	**3.304**	**5.490**
32	आजमगढ़		10.00		-	78	3.120	1.500	1.170
33	मऊ#		0.00		-	14	0.560	0.142	0.180
34	बलिया		0.00	20.00		155	6.200	3.439	2.330
	योग आजमगढ़ मण्डल	*आजमगढ़*	**10.00**	**20.00**	**0**	**247**	**9.880**	**5.081**	**3.680**
35	सिदार्थ नगर*		0.00		-	21	0.570	0.170	0.380
36	बस्ती		10.00	-	-	164	4.790	1.973	1.130
	योग बस्ती मण्डल	*बस्ती*	**10.00**	**0.00**	**0**	**185**	**5.360**	**2.143**	**1.510**
37	बहराइच		0.00	10.00		85	2.542	2.015	1.290
38	श्रावस्ती*		0.00		-	31	0.974	0.527	0.000
39	गोण्डा		0.00	20.00		342	12.874	16.163	1.890
40	बलरामपुर		0.00		-	61	1.848	1.509	0.380
	योग देवीपाटन मण्डल	*गोण्डा*	**0.00**	**30.00**	**0**	**519**	**18.238**	**20.214**	**3.560**
योग पूर्वान्चल क्षेत्र 2			***120.00***	***61.00***	***0***	***1117***	**40.056**	**30.742**	**14.240**
					अवध क्षेत्र :–				
41	फर्रूखाबाद		0.00	30.00	-	132	6.978	5.264	0.460
42	कन्नौज		100.00	30.00	-	84	2.642	3.301	0.220
43	इटावा		0.00	30.00	-	22	2.558	1.159	0.210
44	कानपुर		400.00	50.00	-	47	1.658	1.926	3.070
	योग कानपुर मण्डल	*कानपुर*	**500.00**	**140.00**	**0**	**285**	**13.836**	**11.650**	**3.960**
45	लखीमपुर		0.00	20.00	-	125	5.120	9.380	0.010
46	सीतापुर		0.00		-	123	4.984	5.434	1.870
47	हरदोई*		0.00	30.00	-	36	1.440	0.822	0.680
48	उन्नाव*		0.00	20.00	-	38	2.422	2.935	0.610
49	लखनऊ		300.00	-	-	560	34.359	36.508	43.260
50	रायबरेली*		0.00	-	-	80	3.200	5.588	2.000
	योग लखनऊ मण्डल	*लखनऊ*	**300.00**	**70.00**	**0**	**962**	**51.525**	**60.667**	**48.430**
51	बाराबंकी*		0.00	50.00	-	137	13.038	6.934	2.280
52	फैजाबाद		50.00	-	-	246	10.733	7.327	7.440
53	अम्बेडकरनगर		0.00	10.00	-	264	11.767	8.917	1.200
54	सुल्तानपुर		0.00	20.00	-	121	4.562	5.138	4.000
	योग फैजाबाद मण्डल	*फैजाबाद*	**50.00**	**80.00**	**0**	**768**	**40.100**	**28.316**	**14.920**
योग अवध क्षेत्र			***850.00***	***290.00***	***0***	***2015***	**105.461**	**100.633**	**67.310**
					बुन्देलखण्ड क्षेत्र :–				
55	जालौन *		0.00	-	-	48	1.980	1.562	0.780
56	झाँसी+ललितपुर		10.00	5.00	-	103	4.201	6.081	5.670
	योग झाँसी मण्डल	*झाँसी*	**10.00**	**5.00**	**0**	**151**	**6.181**	**7.643**	**6.450**
57	हमीरपुर*		0.00	10.00	-	54	1.286	0.887	0.050
58	चित्रकूट (कर्वी)		10.00	10.00	-	26	0.484	0.266	0.000
59	बाँदा*		0.00	10.00	-	21	0.552	0.243	0.000
	योग चित्रकूट मण्डल	*कर्वी (चित्रक*	**10.00**	**30.00**	**0**	**101**	**2.322**	**1.396**	**0.050**
योग बुन्देलखण्ड क्षेत्र			**20.00**	**35.00**	**0**	***252***	**8.503**	**9.039**	**6.500**
	महायोग		***2780.00***	***901.00***	***30.00***	***6801***	**306.754**	**336.501**	**170.250**

नोट–1– # बी0एम0सी0के माध्यम से अवशीतन का कार्य।

*2– * बी0एम0सी0 की अवशीतन क्षमता सम्मिलित नहीं है।*

7. विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था

दुग्धशाला विकास विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में दुग्ध आयुक्त, उ0 प्र0 और उनके सहायतार्थ लखनऊ स्थित मुख्यालय पर अपर दुग्ध आयुक्त (पदेन), दुग्धशाला विकास, वित्त नियंत्रक, संयुक्त दुग्ध आयुक्त (प्रशा0), दुग्धशाला प्राविधिक अभियन्ता, मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास अधिकारी, उप दुग्धशाला विकास अधिकारी, उप निदेशक(सां0) एवं सॉख्यिक आदि पद स्वीकृत हैं। मंडल स्तर पर दुग्धशाला विकास अधिकारी और जनपद स्तर पर उप दुग्धशाला विकास अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। विभाग के पदों का विवरण परिशिष्ट "क" एवं प्रशासनिक ढॉचा परिशिष्ट "ख" पर उपलब्ध है।

8. परिशिष्ट

"क" समूहवार पदों की सूची

	वर्ष 2015–16			वर्ष 2016–17			वर्ष 2017–18		
	स्थाई	अस्थाई	योग	स्थाई	अस्थाई	योग	स्थाई	अस्थाई	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
समूह–क	16	–	16	16	–	16	16	–	16
समूह–ख	46	1	47	46	1	47	46	1	47
समूह–ग	384	122	506	378	122	500	378	122	500
समूह–घ	97	30	127	97	30	127	97	30	127
योग–	**543**	**153**	**696**	**537**	**153**	**690**	**537**	**153**	**690**

"ख" विभागीय प्रशासनिक व्यवस्था

विभाग में दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक संचालन एवं निर्देशन हेतु निम्नलिखित प्रशासनिक ढॉचा है:-

दुग्ध आयुक्त कार्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था

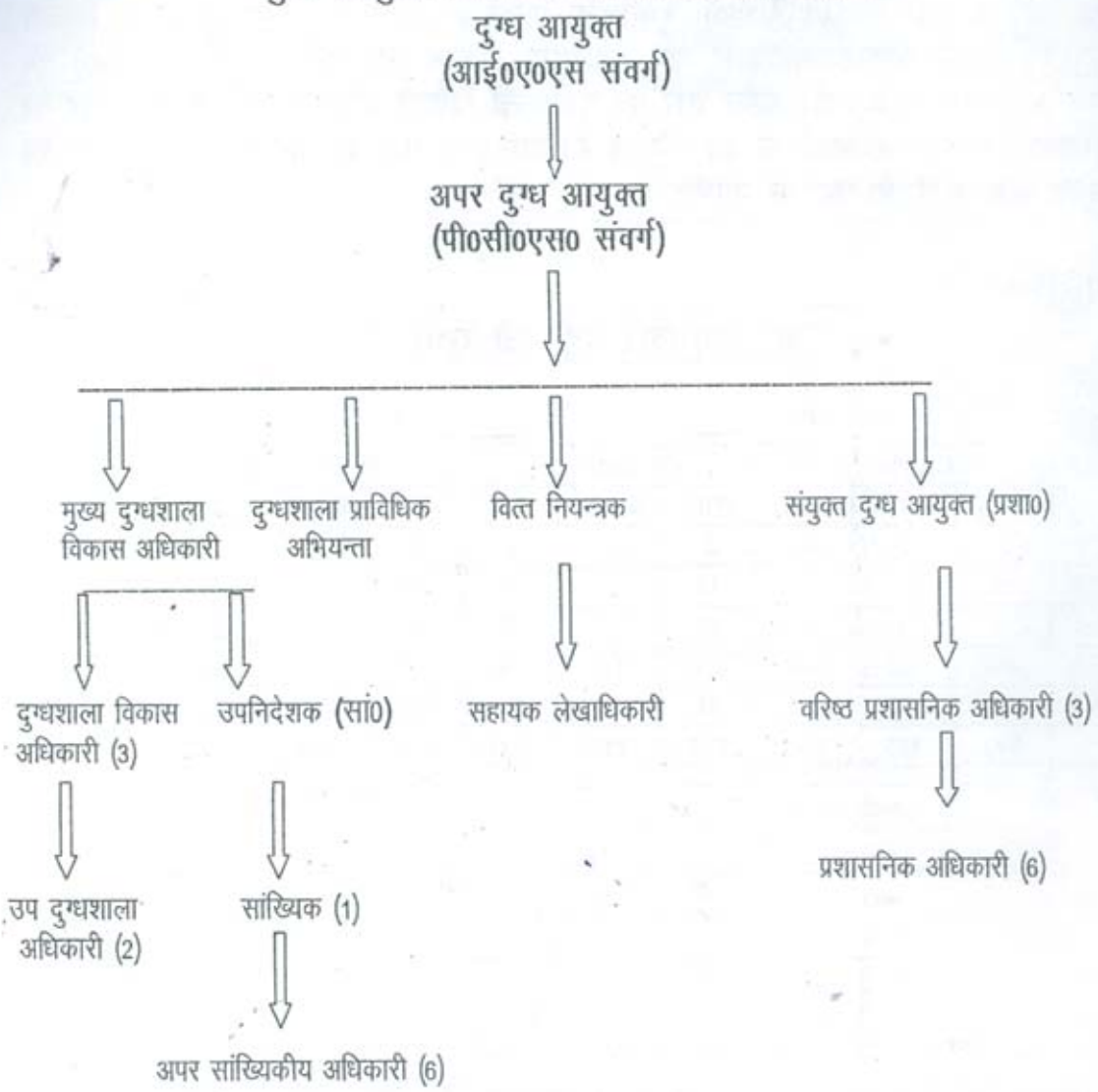

मण्डल स्तर पर	–	दुग्धशाला विकास अधिकारी	(5)
जिला स्तर पर	–	उप दुग्धशाला विकास अधिकारी	(27)
फील्ड स्तर पर	–	1– वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक	(68)
		2– दुग्ध निरीक्षक	(24)
		3– राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक	(257)

"ग" उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की प्रशासनिक व्यवस्था

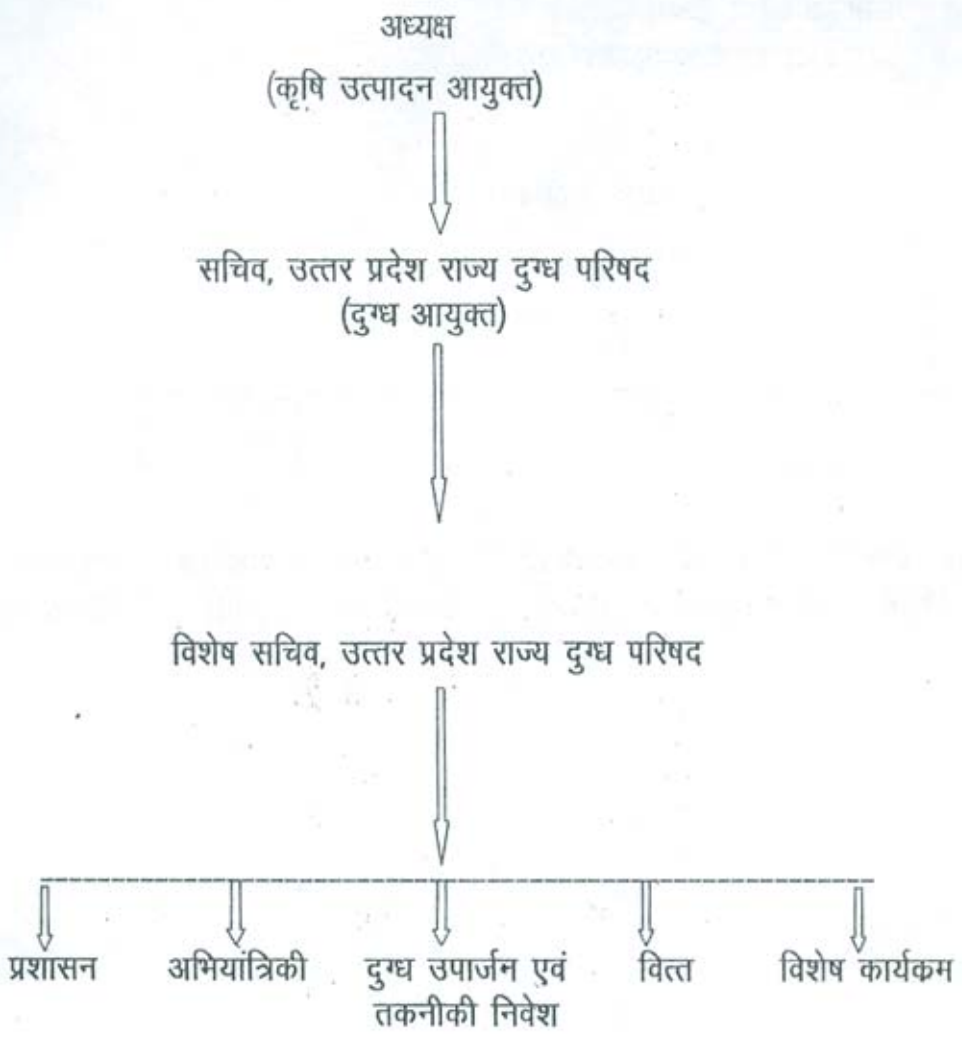

दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक कियान्वयन हेतु तीन सम्भाग अभियांत्रिकी, दुग्ध उपार्जन एवं तकनीकी निवेश एवं वित्त, मुख्यावास पर स्थापित किए गए हैं जिनमें दुग्धशाला प्राविधिक अभियंता, दुग्धशाला विकास अधिकारी (दुग्ध उपार्जन एवं तकनीकी निवेश) एवं वित्त नियंत्रक को क्रमशः पदेन सामान्य प्रबंधक (अभियांत्रिकी), सामान्य प्रबंधक (दुग्ध उपार्जन एवं तकनीकी निवेश) एवं सामान्य प्रबंधक (वित्त) नामित किया गया है।

"घ" पी0सी0डी0एफ0 की प्रशासनिक व्यवस्था

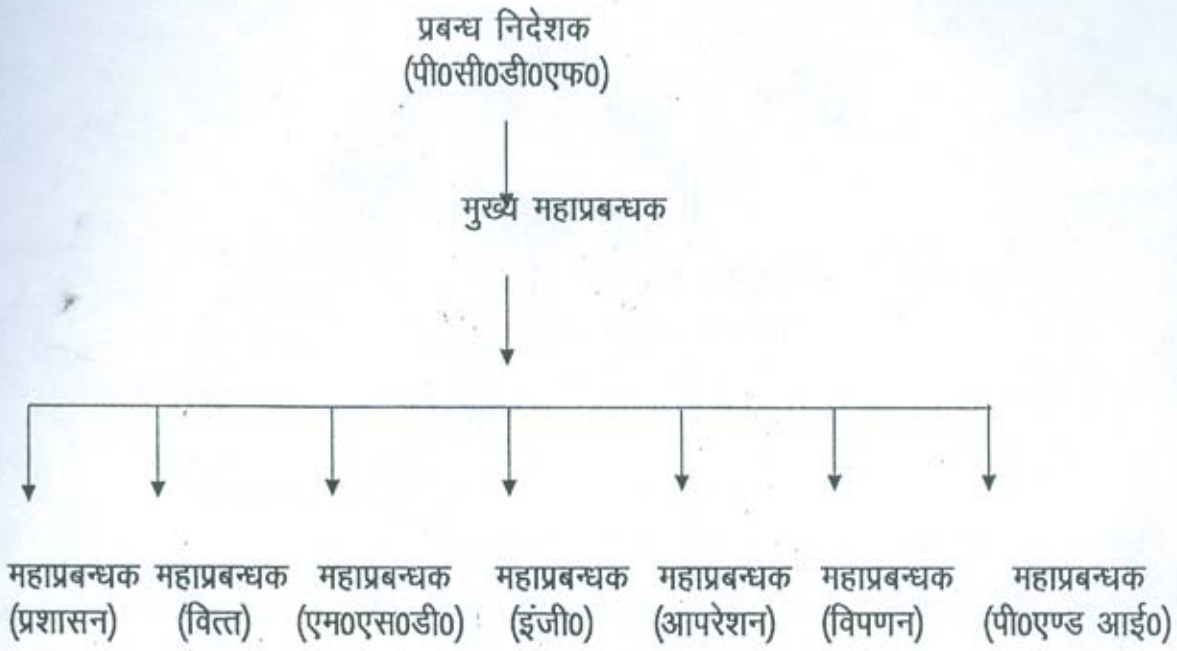

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 4 सा0 दुग्ध विकास–5–3–2018–(2884)–1,500 प्रतियां (क0/टी0/ऑफसेट)।

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ. प्र., लखनऊ
वेब साइट : www.dpsup.up.nic.in
2018